मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी को

आरा | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी 2020 को किया जायेगा। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 16 दिसंबर से शुरू है। इसके लिए एक जनवरी 2020 अर्हता तिथि है। 16 दिसंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 के बीच इच्छुक व्यक्ति द्वारा दावा व आपत्ति किया जा सकता है। 27 जनवरी तक दावा व आपत्ति का निष्पादन किया जायेगा।

अभियान को गति प्रदान करने के लिए डीएम रोशन कुशवाहा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ अपने स्तर से बीएलओ के साथ बैठक कर उन्हें घर घर भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने और मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने के लिए विशेष अभिरुचि लेकर कार्य करें। इसके साथ ही 18 वर्ष से 19 वर्ष के युवा मतदाता को प्रेरित कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा महिला मतदाता की संख्या बढ़ाने और मृत मतदाता का नाम विलोपित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। साथ ही पीडब्ल्यूडी वोटर का सर्वे कर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

डीएम ने कहा कि इस कार्य की लगातार समीक्षा की जायेगी। असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस कार्य को गति प्रदान करने के लिए डीएम द्वारा 20 दिसंबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी।